"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 मार्च 2013—चैत्र 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/10/2013/वाक/पांच (12).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक दिनांक 01-04-2013 से 31-03-2014 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)
1.	सड़क निर्माण तथा सिविल कार्य हेतु संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीनरीज एवं उपकरण, यथा — 1. सभी प्रकार के क्रेन्स 2. सभी प्रकार के एक्सकैवेटर एवं राक ब्रेकर 3. बैचिंग प्लांट (कांक्रीट मिक्श्चर प्लांट) 4. ब्रीज इंस्पेक्शन मशीन्स 5. कम्प्रेसर एंड ड्रायविंग रिग 6. कांक्रीट पम्प्स 7. डोजर्स	अंशत: इस प्रकार जिससे कि कर की दर घटकर 5% हो जाए.

(1)	(2)	(3)
	8. इलेक्ट्रानिक सेंसर पेवर्स	
	9. ग्रेडर्स	
	10. हाट मिक्श प्लांट	
	11. हाईड्रालिक बूम प्लेसर	
	12. हाईड्रालिक बूमर	
	13. हाईड्रालिक ट्वीन बूम जम्बो ड्रीलिंग मशीन	
	14. कर्व मशीन	
	15. लोडर्स	
	16. मोजाईक पालिसिंग मशीन्स	
	17. पाईल ड्रायविंग एंड पाईल एक्सट्रेक्टिंग इक्विपमेंट	
	18. पाईप जेकिंग मशीन	
	19. न्यूमेट्रिक टायर रोलर्स (पीटीआर)	
	20. रेल माउंटेड जेंट्री क्रेन	
	21. रोड रोलर्स	
	22. साईल कम्पेक्टर्स	
	23. स्टोन क्रसर, स्क्रीन्स, सेपरेटिंग प्लांट	
	24. सर्वेईंग इक्विपमेंट्स	
	25. टेंडम रोलर्स	
	26. ट्रांजिट मिलर्स	
	27. ट्रांजिट मिक्श्चर्स	
	28. ट्रक शावेल्स, बकेट ट्रेंचेस	
	29. टनल बोरिंग मशीन्स	
	30. वायब्रेटर्स (कांक्रीटिंग वायब्रेटिंग इक्विपमेंट)	
	31. वेट मिक्सड प्लांट	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10/10/2013/वाक/पांच (12).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/10/2013/वाक/पांच (12), दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/10/2013/CT/V (12).—In exercise of the powers conferred by section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby exempts the class of goods specified in

column (2) of the Schedule below payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 01-04-2013 to 31-03-2014 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)
1.	Machineries and equipments used in execution of civil works contracts and road construction such as :— 1. All types of cranes 2. All types of excavator & rock breaker 3. Batching plant (Concrete Mixture Plant) 4. Bridge inspection machines 5. Compressor & Driving Rig 6. Concrete pumps 7. Dozers 8. Electronic Sensor Pavers 9. Graders 10. Hot mix plant 11. Hydraulic Boom Placer 12. Hydraulic Broomer 13. Hydraulic Twin Boom Jumbo Drilling Machine 14. Kerb machine 15. Loaders 16. Mozaic polishing machines 17. Pile driving and pile extracting equipment 18. Pipe jacking machine 19. Pneumatic Tyre Rollers (PTR) 20. Rail mounted Gantry Crane 21. Road rollers 22. Soil Compactors 23. Stone crusher, screens, separating plant 24. Surveying equipments 25. Tandam rollers 26. Transit millers 27. Transit mixtures 28. Truck shovels, bucket tranches 29. Tunnel boring machines 30. Vibrators (concreting vibrating equipment) 31. Wet mixed plant.	Partly so as to reduce the rate of tax to 5%.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/10/2013/वाक/पांच (13).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में 01 अप्रैल, 2013 की

प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

(1) नियम 8 में :—

(i) उप-नियम (1) में शब्द "प्रारूप 5 में" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रानिक पद्धति से" जोड़ा जाय.

(ii) उप-नियम (2) में शब्द "प्रारूप 5-क में" के पश्चात् शब्दों "प्रदान करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदन करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को भेजेगा" के स्थान पर शब्दों "इलेक्ट्रानिक पद्धति से प्रदान करेगा" प्रतिस्थापित किया जाय.

(iii) उप-नियम (9) में शब्द "निहित समयावधि में" के पश्चात् शब्द "इलेक्ट्रानिक पद्धति से" जोड़ा जाय.

(iv) उप-नियम (10) में शब्द "आधा प्रतिशत" के स्थान पर अंक एवं शब्द "0.25 प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाय.

(2) नियम 57 में :—

(i) उपनियम (2) के खंड (ख) के स्थान पर निम्न खंड प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(ख) (एक) पुनरीक्षण के आवेदन के साथ आक्षेपित आदेश की एक अभिप्रमाणित प्रति,

(दो) धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसार कर तथा ब्याज (यदि देय हो तो) की राशि के भुगतान के प्रमाणस्वरूप चालान की एक प्रति,"

(ii) उपनियम (7) में जहां कहीं भी शब्द "अपील" आया हो के पश्चात् शब्द "/पुनरीक्षण" अंतःस्थापित किया जाय.

(3) नियम 59 में :—

(i) उपनियम (1) के परंतुक को छोड़कर उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(1) यदि अपील ज्ञापन या पुनरीक्षण के आवेदन में नियम 57 की समस्त या किन्हीं अपेक्षाओं की पूर्ति न की गई हो या आवेदक धारा 48 की उपधारा (4)/धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार कर तथा/या शास्ति या ब्याज, जिसके संबंध में अपील/पुनरीक्षण फाईल की गई हो, का भुगतान नहीं करता है, तो अपील या पुनरीक्षण के आवेदन को संक्षिप्ततः नामंजूर कर दिया जाएगा :"

(ii) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाय :—

"(3) जहां अपील/पुनरीक्षण उपनियम (1) के अधीन इस आधार पर संक्षिप्ततः रद्द कर दी जाती है कि अपीलकर्ता ने धारा 48 की उपधारा (4)/आवेदक ने धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अनुसार कर तथा/या शास्ति या ब्याज की रकम का भुगतान नहीं किया है, जिसके संबंध में अपील/पुनरीक्षण की गई है वहां अपील/पुनरीक्षण प्राधिकारी, जब बाद में उसकी जानकारी में यह बात लाई गई हो कि उक्त रकम का भुगतान अपील का ज्ञापन/पुनरीक्षण आवेदन फाईल करने के पूर्व कर दिया गया था, किंतु भुगतान का सबूत उसके साथ नहीं दिया गया था, वहां अपील/पुनरीक्षण विचारार्थ पुनः स्वीकार कर सकेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2013

क्रमांक एफ-10/10/2013/वाक/पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/10/2013/वाक/पांच (13), दिनांक 28-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 28th March 2013

NOTIFICATION

No. F-10/10/2013/CT/V (13).—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment, with effect from 1st April 2013 in the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006, namely ,—

AMENDMENT

In the said rule—

(1) In rule (8),—

(i) sub-rule (1) after the word "application" the word "electronically" shall be inserted.

(ii) sub-rule (2) after the word "grant permission" the word "electonically" shall be inserted.

(iii) sub-rule (9) after the word "his option" the word "elecronically" shall be inserted.

(iv) sub-rule (10) for the word "one half percent" the figure and word "0.25 percent" shall be substituted.

(2) In rule 57 :—

(i) For the existing clause (b) of sub-rule (2), the following clause shall be substituted :—

"(b) (i) The application for revision shall be accompanied by an authenticated copy of the impugned order.

(ii) A copy of challan in proof of payment of the amount of tax and/or interest, in accordance with the provisions of clause (d) of sub-section (4) of section 49."

(ii) In sub-rule (7) after the word "appeal" whereever it occurs the word "/revision" shall be added.

(3) In rule 59 :—

(i) For the existing sub-rule (1) excluding proviso, the following sub-rule shall be substituted :—

"(1) If the memorandum of appeal or application for revision does not comply with all or any of the requirements of rule 57 or the appellant/applicant fails to pay in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 48/clause (d) of sub-section (4) of section 49 the tax and/or penalty or interest in respect of which the appeal/revision has been preferred, the appeal or application for revision may be summarily rejected:"

(ii) For the existing sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted :—

"(3) Where an appeal/revision is summarily rejected under sub-rule (1) on the ground that the appellant/applicant has failed to pay in accordance with the provisions of sub-section (4) of section 48/clause (d) of sub-section (4) of section 49 the amount of tax and/or penalty or interest in respect of which the appeal/revision has been preferred, the appellate/revisional authority may, where, it is subsequently brought to its notice that the said amount was paid before filing the memorandum of appeal/application for revision but the proof of payment was not furnished therewith, re-admit the appeal/revision."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Additional Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.